



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 26 नवम्बर, 2024 / 05 मार्गशीर्ष, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th September, 2024

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to

182—राजपत्र / 2024—26—11—2024

(8963)

declare Civil Judge-cum-JMFC, Kangra as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Kangra, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Pratibha Negi, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Kangra, H.P. *w.e.f.* 23-09-2024 to 05-10-2024 with permission to prefix Sunday falling on 22-09-2024 and suffix Sunday & Dussehra holidays falling on 06-10-2024 & *w.e.f.* 07-10-2024 to 09-10-2024, respectively or till she returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th September, 2024

No. HHC/15-62/Jus./Accts./2024.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-13020/03/2024-US.II, dated 21st September, 2024, issued by the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice (Appointments Division), New Delhi, Hon'ble Mr. Justice Rajiv Shakti, Judge, Delhi High Court, has assumed the charge of the office of Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court on 25th September, 2024 (forenoon).

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th September, 2024

No. HHC/15-61/Jus./Accts./2023.—It is hereby notified that Hon'ble Mr. Justice M. S. Ramachandra Rao, Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, who has been transferred as Chief Justice of the Jharkhand High Court, *vide* Notification No. K.11017/02/2024-US.I/II, dated 21st September, 2024 issued by Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice (Appointment Division), New Delhi, ceased to perform the duties of the office of the Chief Justice of this High Court with effect from 25th September, 2024 (forenoon).

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd September, 2024

No. HHC/23-1/3/80-III.—In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf the Hon'ble Chief Justice of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in 'High Court of Himachal Pradesh (Supply of Liveries to Court Servants) Rules, 1983':

Brief Description:	No. of Rule	Particulars of Rule
Short Title:	1.	These Rules shall be called 'High Court of Himachal Pradesh (Supply of Liveries to Court Servants) 13th Amendment Rules, 2024'
Commencement:	2.	These Rules shall come into force with immediate effect.
Amendment:	3 (i)	<p>(i) In first paragraph of Rule-6 'Purchase of Cloth and other articles of uniforms' word 'livery' shall be substituted by word 'cloth';</p> <p>(ii) In the proviso after first paragraph in Rule-6 word 'livery' shall be substituted by word 'cloth';</p> <p>(iii) After proviso to the first paragraph of Rule 6, a new para shall be inserted as under:—</p> <p style="text-align: center;">“Besides the employees shall be paid fixed cash payments as per entitlement qua the livery articles (does not include cloth material) as per Schedule-I, which shall be enhanced by 20 % after every three years.”</p> <p>After amendment the Rule-6 shall be read as under:—</p> <p>'In order to encourage the co-operative and industrial concerns in Himachal Pradesh and Khadi and Village Industry Board, the cloth material will be obtained only from sources aforementioned by the Registrar by placing direct indents on the Controller of Stores, Himachal Pradesh.</p> <p>Provided, if the cloth material is not available with the said authority, the Registrar may, after obtaining "Non Availability Certificate" from the Controller of Stores, purchase the material from the open market after inviting tenders and with the prior approval of the Hon'ble Chief Justice.</p> <p>Besides the employees shall be paid fixed cash payments as per entitlement qua the livery articles</p>

		(does not include cloth material) as per Schedule-I, which shall be enhanced by 20 % after every three years’.																														
	(ii)	<p>Schedule-I shall be inserted in the Rules as under:—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Ladies & Gents</th> </tr> <tr> <th>Sl. No.</th> <th>Articles</th> <th>Rates (in Rs.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Shoes, both ladies and gents (every year)</td> <td>1500/-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Umbrella, both ladies and gents (after three years)</td> <td>750/-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cap (Bushahri), both ladies and gents (every year)</td> <td>350/-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Socks (Nylon), both ladies and gents (every year)</td> <td>150/-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Woolen jersey, both ladies and gents (every year)</td> <td>1200/-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Blanket, both ladies and gents (after three years)</td> <td>1200/-</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Leather Gloves (only for chowkidar)</td> <td>500/-</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Rain Coat (only for chowkidar)</td> <td>1000/-</td> </tr> </tbody> </table>	Ladies & Gents			Sl. No.	Articles	Rates (in Rs.)	1.	Shoes, both ladies and gents (every year)	1500/-	2.	Umbrella, both ladies and gents (after three years)	750/-	3.	Cap (Bushahri), both ladies and gents (every year)	350/-	4.	Socks (Nylon), both ladies and gents (every year)	150/-	5.	Woolen jersey, both ladies and gents (every year)	1200/-	6.	Blanket, both ladies and gents (after three years)	1200/-	7.	Leather Gloves (only for chowkidar)	500/-	8.	Rain Coat (only for chowkidar)	1000/-
Ladies & Gents																																
Sl. No.	Articles	Rates (in Rs.)																														
1.	Shoes, both ladies and gents (every year)	1500/-																														
2.	Umbrella, both ladies and gents (after three years)	750/-																														
3.	Cap (Bushahri), both ladies and gents (every year)	350/-																														
4.	Socks (Nylon), both ladies and gents (every year)	150/-																														
5.	Woolen jersey, both ladies and gents (every year)	1200/-																														
6.	Blanket, both ladies and gents (after three years)	1200/-																														
7.	Leather Gloves (only for chowkidar)	500/-																														
8.	Rain Coat (only for chowkidar)	1000/-																														

By order,
Sd/-
Hon’ble the Chief Justice.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th September, 2024

No. HHC/Estt.6(73)/2008-I.—In the exercise of powers vested in him under Article 229 of the Constitution of India, Hon’ble the Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh is pleased to amend the terms and conditions of engagement of Law Clerks-cum-Research Assistants as under.—

Sl. No.	
1.	In clause-1 ‘ Educational Qualification ’ words ‘ within three years from the date his/her engagement as Law Clerks-cum-Research Assistant ’ shall stand deleted. After amendment the clause-1 shall read as under:—

	The Incumbent must have done LLB degree/LLM from a recognized University or Institution.
2.	<p>In Clause-2 'Mode of engagement', sub clause (i), after words 'Chief Justice' following words shall stand inserted:—</p> <p>'and Hon'ble Judges.'</p> <p>In Clause-2 'Mode of engagement', sub-clause (i), words 'and each Hon'ble Judge shall be authorized to engage one Law Clerk-cum-Research Assistant of His Lordship choice shall stand deleted'</p> <p>After amendment the clause 2 (i) shall read as under:—</p> <p>'Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Judges shall be authorized to engage two Law Clerks-cum-Research Assistants on his Lordship's Choice.'</p>
3.	<p>In Clause-4 'Honorarium', the figure 10,000/- shall stand substituted with following figure and words:—</p> <p>'25,000/- each'</p> <p>after amendment the clause-4 shall read as under:—</p> <p>'The engagement shall be on a fixed honorarium of Rs. 25,000/- each per month or as determined from time to time by Hon'ble the Chief Justice.'</p>

By order,
Sd/
Hon'ble the Chief Justice.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :
47/RNTK

किस्म मुकद्दमा :
जाति दुरुस्ती

तारीख पेशी :
06-12-2024

कृष्ण कुमार पुत्र रावण, निवासी महाल भौन्का, मौजा बाड़, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

उनवान : जाति दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

बनाम

आम जनता

कृष्ण कुमार पुत्र रावण, निवासी महाल भौन्का, मौजा बाड़, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0 का स्थाई निवासी है। जिसने जाति दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। क्योंकि महाल भौन्का, मौजा
बाड़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति गद्दी सिपि गौत नुकरान दर्ज है जोकि सही न है। परन्तु हमारी भूमि

पलौथा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में हमारी जाति सिप्पी उप-जाति धर्तफाड़ दर्ज है जोकि सही है। अतः प्रार्थी भौन्का मौजा बाड़ के राजस्व रिकार्ड में जाति गद्दी सिपि उप-जाति नुकराना की बजाये जाति सिप्पी उप-जाति धरतफाड़ दर्ज कागजात करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जाति दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई एतराज या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-12-2024 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है हाजिर न आने की सूरत में प्रार्थी की जाति दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2024 को हस्ताक्षर व मोहर जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :
48 / RNT

किस्म मुकद्दमा :
जन्म तिथि पंजीकरण

तारीख पेशी :
06-12-2024

ललिता देवी पुत्री खजान सिंह, निवासी महाल भटोली, डा0 सोलदा, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उनवान : जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन पत्र।

प्रार्थिया ने इस अदालत में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से गुजारा है कि जिसमें उन्होंने अपनी जन्म तिथि 17-03-1959 दर्शाई है। प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम नियांगल में दर्ज करवाना है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की है जिसमें प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि 17-03-1959 दर्शाई है।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज कराने बारे कोई उजर व एतराज है तो वह दिनांक 06-12-2024 तक सायं 2.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नियांगल में दर्ज करने बारे आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 06-11-2024 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं० : 30/B/T/ 2024

तारीख पेशी : 06-12-2024

किस्मती देवी पुत्री श्री जैन्ता राम, निवासी गांव जुजपुर, डा0 गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।
नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया किस्मती देवी पुत्री श्री जैन्ता राम, निवासी गांव जुजपुर, डा0 गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1955 को हुआ है। परन्तु गलती से ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसको ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-12-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया किस्मती देवी पुत्री श्री जैन्ता राम, निवासी गांव जुजपुर, डा0 गलोटी की जन्म तिथि 01-01-1955 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं० : 31/B/T/ 2024

तारीख पेशी : 06-12-2024

रानी देवी पुत्री श्री लाल सिंह, निवासी गांव फगूरता, डा0 घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया रानी देवी पुत्री श्री लाल सिंह, निवासी गांव फगूरता, डा0 घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1970 को हुआ है। परन्तु गलती से ग्राम पंचायत बरोग लाहड के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसको ग्राम पंचायत बरोग लाहड के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-12-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया रानी देवी पुत्री श्री लाल सिंह, निवासी गांव फगूरता, डा0 घरना की जन्म तिथि 01-01-1970 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बरोग लाहड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायरा	तारीख पेशी
06/NT/2024	नाम दुरुस्ती	18-03-2024	27-12-2019

सुनीता देवी

बनाम

आम जनता।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती सलोचना देवी पत्नी रघुवीर सिंह, वासी सोहारी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती सलोचना देवी पत्नी रघुवीर सिंह, वासी सोहारी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल सोहारी में एक हिस्से में हमीर दास उपनाम रणवीर सिंह दर्ज है जबकि एक अन्य हिस्से में रघुवीर सिंह नाम दर्ज है लिहाजा इसे दुरुस्त करके हमीर दास उर्फ रणवीर सिंह उर्फ रघुवीर सिंह किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 07-12-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 07-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़,
तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 05 / NT / 2024	किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती	तारीख दायरा 18-03-2024	तारीख पेशी 27-12-2019
---------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------

सुनीता देवी	बनाम	आम जनता।
-------------	------	----------

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती सुनीता देवी पत्नी रमेश चन्द, वासी सोहारी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती सुनीता देवी पत्नी रमेश चन्द, वासी सोहारी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल सोहारी में एक हिस्से में जसवन्त सिंह दर्ज है जबकि एक अन्य हिस्से में रमेश चन्द नाम दर्ज है लिहाजा इसे दुरुस्त करके जसवन्त सिंह उर्फ रमेश चन्द किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 07-12-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 07-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़,
तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायव तहसीलदार, जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 21 / N / 2024

तारीख पेशी : 09-12-2024

विद्या देवी पुत्री गुलावा, गांव कथौण, डा0 झमूं, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थिया विद्या देवी पुत्री गुलावा, गांव कथौण, डा0 झमूं, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-10-1954 को गांव कथौण, ग्राम पंचायत वड़ में हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश मेरे जन्म का पंजीकरण मेरे माता पिता द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत वड़ को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त विद्या देवी पुत्री गुलावा की जन्म तिथि 15-10-1954 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज है तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 09-12-2024 को अदालत हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उक्त विद्या देवी पुत्री गुलावा के जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत वड को पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30-10-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नरायब तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 09-12-2024

प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र प्रेम दास पुत्र विशू उपनाम विशन दास, निवासी गांव आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके पिता का सही नाम प्रेम दास पुत्र विशू उपनाम विशन दास है। परन्तु महाल आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम प्रेम चन्द दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी माहल हजा में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस अखबारी इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता के नाम प्रेम दास के बजाये प्रेम चन्द करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 09-12-2024 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है। अन्यथा हाजिर ना आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

कार्यकारी दण्डाधिकारी (नरायब तहसीलदार),
आलमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत जनाब श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

पिंकी देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव लाहड, डा0 गुनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

पिंकी देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव लाहड, डा0 गुनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री पल्लवी का जन्म दिनांक 15-06-2019 को महाल लाहड, तहसील बैजनाथ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 22-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 07 / 2024

तिथि मरजुआ : 04-11-2024

दोरजे कटोच पुत्र स्व0 श्री रिगजिन कारपो, गांव मेह, डा0 गेमूर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.— राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

दोरजे कटोच पुत्र स्व0 श्री रिगजिन कारपो, गांव मेह, डा0 गेमूर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित (बराये नाम दुरुस्ती) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें आवेदक दोरजे कटोच ने निवेदन किया है कि मेरा नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोलोंग के मौहाल मेह में छेवांग दोरजे पुत्र रिगजिन कारपो दर्ज है, परन्तु परिवार रजिस्टर नकल में दोरजे पुत्र रिगजिन कारपो दर्ज है। प्रार्थी अब राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोलोंग के मौहाल मेह में अपना नाम दुरुस्त कर छेवांग दोरजे पुत्र रिगजिन कारपो के स्थान पर छेवांग दोरजे उर्फ दोरजे पुत्र रिगजिन कारपो दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोलोंग मोहाल मेह में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त कर छेवांग दोरजे पुत्र रिगजिन कारपो के स्थान पर छेवांग दोरजे उर्फ दोरजे पुत्र रिगजिन कारपो दर्ज करने में

कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 04-12-2024 तक असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोलोंग मोहाल मेह में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त कर छेवांग दोरजे पुत्र रिगजिन कारपो के स्थान पर छेवांग दोरजे उर्फ दोरजे पुत्र रिगजिन कारपो दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,
जिला लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री कातकु, निवासी गांव मैहली, डा0 मैरमसीत, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत खिलडा, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री कातकु, निवासी गांव मैहली, डा0 मैरमसीत, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1960 को निवासी गांव ग्राम पंचायत खिलडा, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत खिलडा, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत खिलडा, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-12-2024 को मुकर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 06-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री रोशन लाल पुत्र श्री लच्छमण, निवासी गांव धारण्डा, डा0 मैरमसीत, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत खिलडा, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री रोशन लाल पुत्र श्री लच्छमण, निवासी गांव धारण्डा, डा0 मैरमसीत, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 26-09-1954 को निवासी गांव व ग्राम पंचायत खिलडा, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत खिलडा, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत खिलडा, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-12-2024 को मुकर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 06-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

एव राज पुत्र घान्था पुत्र दुलू, निवासी पट्टीधार, डा0 व उप-तहसील थाची, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे जेर धारा 37(2) के तहत आवेदन-पत्र।

एव राज पुत्र घान्था पुत्र दुलू, निवासी पट्टीधार, डा0 व उप-तहसील थाची, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा नाम सभी दस्तावेजों में एव राज पुत्र घान्था पुत्र दुलू दर्ज है। लेकिन भू-राजस्व विभाग मुहाल बसूट/579 में ऐवी पुत्र घान्था दर्ज है। जिसको की मैं दुरुस्त करके ऐवी पुत्र घान्था के बजाये एव राज पुत्र घान्था पुत्र दुलू ही दर्ज करना चाहता हूं।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-12-2024 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील थाची, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्रीमती तन्जिन डोलमा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 05 / 2024

तारीख संस्थापन : 15-10-2024

श्री कृष्ण पाल पुत्र स्व0 श्रीमती लच्छमू, गांव खोलवी, डा0 जंजौली, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला
(हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरखास्त।

श्री कृष्ण पाल पुत्र स्व0 श्रीमती लच्छमू, गांव खोलवी, डा0 जंजौली, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला
(हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2020-21, नकल परिवार रजिस्टर,
प्रतिलिपि आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा शपथ-पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल
मोहाल खोलवी के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 17/74 में उसका नाम कृष्ण लाल पुत्र स्व0
श्रीमती लच्छमू गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाए गए सबूतों के अनुरूप
कृष्ण पाल है।

इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरण से छानबीन करवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का
नाम पटवार वृत्त कांगल के राजस्व रिकार्ड में कृष्ण लाल पुत्र स्व0 श्रीमती लच्छमू दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम पटवार
वृत्त कांगल मोहाल खोलवी के राजस्व सम्पदा के अराजी खाता/खतौनी नं0 17/74 में कृष्ण लाल पुत्र स्व0
श्रीमती लच्छमू के स्थान पर कृष्ण पाल पुत्र स्व0 श्रीमती लच्छमू दर्ज करवाने बारे किसी को कोई
उजर/एतराज हो तो वह मिति 30-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य
दिवस में असागतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एजराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा इस तिथि तक
कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर
दिए जावेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 30-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्रीमती तन्जिन डोलमा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन,
जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 03 / 2024

तारीख संस्थापन : 25-07-2024

श्री जयन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री दीनानाथ, गांव व डा0 बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला
(हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरखास्त।

श्री जयन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री दीनानाथ, गांव व डा0 बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला
(हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2021-22, नकल परिवार रजिस्टर,
प्रतिलिपि आधार कार्ड, राशन कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है
कि पटवार वृत्त व मोहाल बड़ागांव के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 109/238 में उसका नाम
अजन्त पुत्र स्व0 श्री दीनानाथ गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाए गए सबूतों
के अनुरूप जयन्त कुमार दर्ज है।

इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरण से छानबीन करवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का
नाम पटवार वृत्त बड़ागांव के राजस्व रिकार्ड में अजन्त पुत्र स्व0 श्री दीनानाथ दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम पटवार
वृत्त व मोहाल बड़ागांव के राजस्व सम्पदा के अराजी खाता/खतौनी नं0 109/238 में अजन्त पुत्र स्व0
श्री दीनानाथ के स्थान पर जयन्त पुत्र स्व0 श्री दीनानाथ दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो
तो वह मिति 30-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में
असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एजराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा इस तिथि तक कोई भी
एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए
जावेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 30-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 31 / 2021

तारीख मरजुआ : 28-10-2021

तारीख पेशी : 07-12-2024

1. श्री पदम देव शर्मा पुत्र हुक्म चंद, निवासी गांव डवारशु, तहसील सुन्नी ग्रामीण, जिला शिमला,
हि0 प्र0 आदि प्रार्थी।

बनाम

1. खेम राज, 2. देव राज पुत्रगण श्री मेहर चंद, निवासी मल्याणा, तहसील शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 3. ओम प्रकाश पुत्र आत्मा राम, 4. श्रीमती गुलाबु पुत्री भागु राम, 5. श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री भागु राम, 6. श्रीमती कमला देवी पत्नी जय प्रकाश, 7. यशवीर सिंह पुत्र जोगिन्दर, 8. वलबीर सिंह पुत्र जोगिन्दर, 9. भागमल पुत्र ग्यारू राम, 10. श्रीमती परमुदया पत्नी प्रेम सिंह, 11. मेद राम पुत्र ध्यानू, 12. विरेन्दर सिंह पुत्र देवी सिंह, 13. ब्रिज मोहन पुत्र इन्द्र दत्त, निवासी गांव पल्याड, डा0 सुन्नी, जिला शिमला, 14. किशोरी लाल पुत्र ज्ञान चंद, निवासी गांव पल्याड, डा0 सुन्नी, जिला शिमला, 15. ज्ञान सिंह पुत्र मस्त राम, 16. मान सिंह पुत्र मस्त राम, 17. रोशल लाल पुत्र शेर सिंह, 18. लच्छमी राम पुत्र लोसरू राम, 19. गिरधारी लाल पुत्र हर देसाई, 20. श्रीमती शीला पत्नी गिरधारी लाल, 21. नरेन्दर सिंह पुत्र ख्याली राम, 22. श्रीमती पुष्पा पत्नी नरेन्दर सिंह, 23. जोगी राम पुत्र संन्दर सिंह, 24. श्रीमती पीना पुत्री तारा चंद उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण निवासी गांव मल्याणा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के वासी हैं।

श्री पदम देव शर्मा पुत्र हुक्म चंद, निवासी गांव डवारशु, तहसील सुन्नी ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 172/236, ता 255, खसरा नं0 427, 436, 437, 400, 415, 420, 421, 396, 423, 428, 429, 430, 432, 416, 417, 418, 419, 424, 426, 398, 399, 431, कित्ता 23, रकबा 00-32-47 है0 वाका महाल मल्याणा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश बारे प्रस्तुत किया है। कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किये गये परन्तु प्रतिवादीगण के मौका पर न मिलने व रिपोर्ट तामील कुनिदा के कारण तामील न हो सकी। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ के उपरोक्त मुकद्दमा में पेश न हो रहे हैं।

अतः अदालत को विश्वास हो चूका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 ता 24 की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा भू-विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 07-12-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 18-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

समक्ष संजीव गुप्ता ब अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 28/2024

तारीख मरजुआ : 07-11-2024

तारीख पेशी : 27-12-2024

श्री योगिन्द्र सिंह पुत्र चन्द्र सिंह, निवासी वर्मा निवासी नियर माया पब्लिक स्कूल मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्राथी।

बनाम

1. ईन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री दिला राम, निवासी गौरव निवास बिलो ग्रीन वुड इस्टेट मशोबरा-2, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0, 2. श्री हिमांशू पुत्र स्व0 श्री हरी दास, निवासी गांव व डा0 मशोबरा-2, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0, 3. श्री श्याम पुत्र स्व0 श्री हरी दास, निवासी गांव व डा0 मशोबरा-2, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0, 4. श्रीमती किरण पुत्री स्व0 श्री हरी दास,

निवासी गांव व डा0 मशोबरा-2, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0, 5. लेख राम पुत्र श्री कुन्दल लाल, निवासी गांव व डा0 मशोबरा-2, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 86/103, कित्ता 9, रकबा तादादी 00-24-96 है0, उप-मोहाल/मौजा मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र श्री योगिन्द्र सिंह पुत्र चन्द्र सिंह, निवासी वर्मा निवासी नियर माया पब्लिक स्कूल मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम खाता/खतौनी नं0 86/103, कित्ता 9, रकबा तादादी 00-24-96 है0, उप-मोहाल/मौजा मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 ता 5 की तामील साधारण तरीके से संभव न हो पा रही है।

अतः इशतहार द्वारा उक्त प्रतिवादी नं0 2 ता 5 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 27-12-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन,
जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल सं0 : 09 / 2024

तारीख संस्थापन : 20-09-2024

श्री कमल शर्मा पुत्र स्व0 श्री गनपत राम पुत्र स्व0 किशन दत्त, निवासी गांव व डा0 नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा (37) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरखास्त।

श्री कमल शर्मा पुत्र स्व0 श्री गनपत राम पुत्र स्व0 किशन दत्त, निवासी गांव व डा0 नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी वर्ष 2018-19, प्रतिलिपी आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, पैन कार्ड, राशन कार्ड सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त नारकण्डा के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 60/99, खसरा नं0 488, रकबा तादादी 114-69 वर्ग मीटर व खाता/खतौनी नं0 61/100, कित्ता 2, रकबा तादादी 216-71 वर्ग मीटर महाल अ.सूक्षे. समिति नाकरण्डा में उसका नाम कमल नैन दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाए गए उक्त दस्तावेजों व शपथ पत्र में कमल शर्मा दर्ज है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त नाकरण्डा के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।

अतः आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में कमल नैन के स्थान पर कमल शर्मा उर्फ कमल नैन दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 11-12-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 11-11-2024 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

मिसल सं० : 08/2024

तारीख संस्थापन : 20-09-2024

श्री सरन दास पुत्र स्व० श्री शनिचरु, निवासी गांव धांडी, डा० फराल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा (37) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरखास्त।

श्री सरन दास पुत्र स्व० श्री शनिचरु, निवासी गांव धांडी, डा० फराल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी वर्ष 2014-15, प्रतिलिपी आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, पैन कार्ड सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त मलैन्डी के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं० 50/110, खसरा नं० 770/764/68, रकबा तादादी 00-03-39 है० महाल मलैन्डी में उसका नाम दास दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाए गए उक्त दस्तावेजों व शपथ पत्र के अनुरूप सरन दास दर्ज है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त मलैन्डी के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।

अतः आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दास के स्थान पर सरन दार उर्फ दास दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 11-12-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 11-11-2024 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

समक्ष संजीव गुप्ता ब अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 83 / 2024

तारीख मरजुआ : 29-08-2021

तारीख पेशी : 13-12-2024

श्री रमेश कुमार पुत्र शिव राम, निवासी पंथाघाटी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0।

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिव राम, निवासी पंथाघाटी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0

प्रार्थी।

बनाम

1. श्री मेहर सिंह पुत्र चन्द्र, 2. श्री ललित पुत्र राम किशन, 3. श्री धर्मेन्द्र पुत्र राम किशन, 4. श्रीमती गीता पुत्री राम किशन, 5. श्रीमती सरस्वती विधवा राम किशन, 6. श्रीमती पूजा पुत्री जय सिंह, 7. श्रीमती संतोष पुत्री जय सिंह, 8. श्री दिवेश पुत्र जय सिंह, 9. श्रीमती शकुन्तला उर्फ रीता विधवा जय सिंह, 10. श्री रमेश कुमार पुत्र गंगा राम, 11. श्री ओम प्रकाश पुत्र गंगा राम, 12. श्री हेम चन्द पुत्र मनोहर सिंह, 13. श्रीमती पुष्पा पुत्री मनोहर सिंह, 14. श्रीमती लाजवन्ती उपनाम अनिता पुत्री मनोहर सिंह, 15. श्रीमती कान्ता पुत्री मनोहर सिंह, 16. श्रीमती शारदा देवी विधवा मनोहर सिंह, 17. श्री हितेन्द्र पुत्र ध्यान सिंह, 18. श्री तारा चन्द पुत्र नरायण सिंह, 19. श्री तेज प्रकाश पुत्र नरायण सिंह, 20. श्री गीता राम पुत्र भगत राम उर्फ काकू, 21. श्री किशन चन्द पुत्र रामाद मार्फत जायज वारसान हिरा सिंह व बुधि सिंह पुत्रगण, 22. श्री निखिल पुत्र भास्करानन्द, 23. श्रीमती रूचिका पुत्री भास्करानन्द, 24. श्रीमती सरला विधवा भास्करानन्द, 25. श्री हरफूल पुत्र शादी राम, 26. श्री मोहन लाल पुत्र शादी राम, 27. श्री गिरजानन्द पुत्र शादी राम, 28. श्रीमती शारदा पत्नी शादी राम, 29. श्रीमती निर्मला पत्नी कमलेश, 30. श्री पदम चन्द पुत्र बालक राम, 31. श्रीमती उषा पत्नी ईश्वर चन्द, 32. श्री जगत सिंह पुत्र बालक राम, 33. श्री टेक चन्द पुत्र झण्डू, 34. श्री संतोष पुत्र रतन सिंह, 35. श्री ललित सूद पुत्र श्रीमती स्नेहलता उपरोक्त सभी निवासी सरधीन, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 3/25, ता 32, कित्ता 9, रकबा तादादी 0-25-39 है0, उप-मोहाल/मौजा दोची, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र श्री रमेश कुमार व सुरेन्द्र कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम खाता/खतौनी नं0 3/25, ता 32, कित्ता 9, रकबा तादादी 0-25-39 है0, उप-मोहाल/मौजा दोची, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0 21 के जायज वारसान व प्रतिवादी नं0 6, 8, 11, 13, 23, 25 ता 31, 35 की तामील साधारण तरीके से संभव न हो पा रही है।

अतः इशतहार द्वारा उक्त प्रतिवादी नं0 21 के जायज वारसान व प्रतिवादी नं0 6, 8, 11, 13, 23, 25 ता 31, 35 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 13-12-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

समक्ष संजीव गुप्ता ब अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 82 / 2024

तारीख मरजुआ : 29-08-2021

तारीख पेशी : 13-12-2024

श्री रमेश कुमार पुत्र शिव राम, निवासी पंथाघाटी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0।

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिव राम, निवासी पंथाघाटी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0

प्रार्थी।

बनाम

1. श्री मेहर सिंह पुत्र चन्द्र, 2. श्री ललित पुत्र राम किशन, 3. श्री धर्मेन्द्र पुत्र राम किशन, 4. श्रीमती गीता पुत्री राम किशन, 5. श्रीमती सरस्वती विधवा राम किशन, 6. श्रीमती पूजा पुत्री जय सिंह, 7. श्रीमती संतोष पुत्री जय सिंह, 8. श्री दिवेश पुत्र जय सिंह, 9. श्रीमती शकुन्तला उर्फ रीता विधवा जय सिंह, 10. श्री रमेश कुमार पुत्र गंगा राम, 11. श्री ओम प्रकाश पुत्र गंगा राम, 12. श्री हेम चन्द्र पुत्र मनोहर सिंह, 13. श्रीमती पुष्पा पुत्री मनोहर सिंह, 14. श्रीमती लाजवन्ती उपनाम अनिता पुत्री मनोहर सिंह, 15. श्रीमती कान्ता पुत्री मनोहर सिंह, 16. श्रीमती शारदा देवी विधवा मनोहर सिंह, 17. श्री हितेन्द्र पुत्र ध्यान सिंह, 18. श्री तारा चन्द्र पुत्र नरायण सिंह, 19. श्री तेज प्रकाश पुत्र नरायण सिंह, 20. श्री गीता राम पुत्र भगत राम उर्फ काकू, 21. श्री किशन चन्द्र पुत्र रामाद मार्फत जायज वारसान हिरा सिंह व बुधि सिंह पुत्रगण, 22. श्री निखिल पुत्र भास्करानन्द, 23. श्रीमती रूचिका पुत्री भास्करानन्द, 24. श्रीमती सरला विधवा भास्करानन्द, 25. श्री हरफूल पुत्र शादी राम, 26. श्री मोहन लाल पुत्र शादी राम, 27. श्री गिरजानन्द पुत्र शादी राम, 28. श्रीमती शारदा पत्नी शादी राम, 29. श्रीमती निर्मला पत्नी कमलेश, 30. श्री पदम चन्द्र पुत्र बालक राम, 31. श्रीमती उषा पत्नी ईश्वर चन्द्र, 32. श्री जगत सिंह पुत्र बालक राम, 33. श्री टेक चन्द्र पुत्र झण्डू, 34. श्री संतोष पुत्र रतन सिंह, 35. श्रीमती स्नेहलता पत्नी जसवंत राम उपरोक्त सभी निवासी सरधीन, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 2/16, ता 24, कित्ता 15, रकबा तादादी 0-33-88 है0, उप-मोहाल/मौजा दोची, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र श्री रमेश कुमार व सुरेन्द्र कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम खाता/खतौनी नं0 2/16, ता 24, कित्ता 15, रकबा तादादी 0-33-88 है0, उप-मोहाल/मौजा दोची, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0 21 के जायज वारसान व प्रतिवादी नं0 6, 8, 9, 11, 13, 23, 25 ता 31, 35 की तामील साधारण तरीके से संभव न हो पा रही है।

अतः इशतहार द्वारा उक्त प्रतिवादी नं0 21 के जायज वारसान व प्रतिवादी नं0 6, 8, 9, 11, 13, 23, 25 ता 31, 35 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 13-12-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

समक्ष संजीव गुप्ता ब अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 81/2024

तारीख मरजुआ : 29-08-2021

तारीख पेशी : 13-12-2024

श्री रमेश कुमार पुत्र शिव राम, निवासी पंथाघाटी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0।

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिव राम, निवासी पंथाघाटी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0

प्रार्थी।

बनाम

1. श्री जीत राम पुत्र चन्दु मार्फत जायज वारसान सोमा देवी पत्नी कुकेश पुत्र व कविता पुत्री,
2. श्री मेहर सिंह पुत्र चन्दू, 3. विरेन्द्र कुमार पुत्र किरपा राम, 4. श्री रमेश कुमार पुत्र गंगा राम,
5. श्री ओम प्रकाश पुत्र गंगा राम, 6. श्री गीता राम पुत्र भगत राम, 7. श्री तेज प्रकाश पुत्र नरायण सिंह,
8. श्री तारा चन्द पुत्र नरायण सिंह, 9. श्री किशन चन्द पुत्र रामा मार्फत जायज वारसान हीरा सिंह पुत्र व बुधि
सिंह पुत्र, 10. श्री निखिल पुत्र भास्करानन्द, 11. श्रीमती रूचिका पुत्री भास्करानन्द, 12. श्रीमती सरला विधवा
भास्करानन्द, 13. श्री हरफूल पुत्र शादी राम, 14. श्रीमती निर्मला विधवा कमलेश, 15. श्रीमती शारदा विधवा
शादी राम, 16. श्री मोहन लाल पुत्र शादी राम, 17. श्री गिरजानन्द पुत्र शादी राम, 18. श्री पदम चन्द पुत्र
बालक राम, 19. श्रीमती उषा पत्नी ईश्वर चन्द, 20. श्री जगत सिंह पुत्र रतन सिंह, 21. श्री संतोष सिंह पुत्र
रतन सिंह, 22. श्री ललित सूद पुत्र रतन सिंह, 23. श्री हेम चन्द पुत्र मनोहर सिंह, 24. श्रीमती पुष्पा पुत्री
मनोहर सिंह, 25. श्रीमती लाजवन्ती उर्फ अनिता पुत्री मनोहर, 26. श्रीमती कान्ता पुत्री मनोहर सिंह,
27. श्रीमती शारदा विधवा मनोहर सिंह, 28. श्री हितेन्द्र पुत्र ध्यान सिंह, 29. श्री टेक चन्द पुत्र झण्डू,
30. श्री रमेश सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, 31. श्री बाल किशन पुत्र शिव राम, 32. श्री वेद प्रकाश पुत्र भगवान दास,
33. श्रीमती नवीन नेगी पत्नी ज्ञान नेगी उपरोक्त सभी निवासी सरधीन, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला
शिमला, हि0 प्र0। प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा
खाता/खतौनी नं0 1/1, ता 15, कित्ता 27, रकबा तादादी 0-83-47 है0, उप-मोहाल/मौजा दोची, तहसील
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र श्री रमेश कुमार व सुरेन्द्र कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के
अन्तर्गत तकसीम खाता/खतौनी नं0 1/1, ता 15, कित्ता 27, रकबा तादादी 0-83-47 है0,
उप-मोहाल/मौजा दोची, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0
1, 9 के जायज वारसान व प्रतिवादी नं0 13, 14, 5, 15, ता 19, 22 ता 24, 30, 32, 33 की तामील साधारण
तरीके से संभव न हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा उक्त प्रतिवादी नं0 1, 9 के जायज वारसान व प्रतिवादी नं0 13, 14, 5, 15, ता 19,
22 ता 24, 30, 32, 33 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व
एतराज हो तो वह स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 13-12-2024 को अपराहन 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर
चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में
लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

केस नं० : 04 / 2024

दिनांक : 24-06-2024

श्रीमती रीता देवी पुत्री श्री जगत राम, निवासी गांव बागी, डा० देवगढ़, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 व 38 के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थिया श्रीमती रीता देवी पुत्री श्री जगत राम, निवासी गांव बागी, डा० देवगढ़, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि०प्र०) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत देवगढ़, राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी बागी, आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गुम्मा के महाल बागी में श्रीमती अनीता देवी पुत्री श्री जगत राम दर्ज हो गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जिसे प्रार्थिया अब दुरुस्त करवाना चाहती है। प्रार्थिया का नाम जोकि मुताबिक ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत देवगढ़ श्रीमती अनीता की जगह श्रीमती रीता देवी करवाना चाहती है।

इसके अतिरिक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु पटवारी हल्का गुम्मा बराये छानबीन मय रिपोर्ट बारे भेजा गया। मुताबिक रिपोर्ट राजस्व मालकागजात स्पष्ट किया कि प्रार्थिया का नाम महाल बागी में श्रीमती अनीता देवी दर्ज है। जिसे दुरुस्त करने बारे पटवारी गुम्मा द्वारा भी सिफारिश की गई।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2024 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कोटखाई में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकते हैं। अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
कोटखाई, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, माजरा, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

मिसल नं० : 40 / XIII of 2024

दिनांक : 04-11-2024

इशतहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती जयवन्ती पत्नी स्व० श्री हरीचन्द पुत्र श्री सरवानन्द, निवासी ग्राम व डा० कोलर, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर, हि० प्र० ने इस कार्यालय में Case No. 40/ XIII of 2024 (Case titled as Jaiwanti Vs. General Public) मौजा कोलर के राजस्व रिकार्ड में खाता/खतौनी नं० 272/396, खसरा नं० 203 व 204 में अपना नाम दुरुस्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया

है। जमाबन्दी वर्ष 2017-18 मौजा कोलर खाता/खतौनी नं0 272/396, खसरा नं0 203 व 204 में प्रार्थिया का नाम श्रीमती जसवन्ती विधवा हरीचन्द पुत्र सरवानन्द कागजात माल दर्ज है। प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम जसवन्ती उर्फ जयवन्ती पत्नी हरीचन्द पुत्र सरवानन्द दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त दुरुस्ती से कोई एतराज हो तो वह दिनांक 04-12-2024 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में हाजिर आकर अपनी लिखित व मौखिक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
माजरा, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी गगरेट स्थित कलोह, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह,
जिला ऊना (हि0प्र0)

विवाह पंजीकरण

1. श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी वार्ड नं0 04, नगर पंचायत गगरेट, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0)।

2. श्रीमती सुमन लता पुत्री श्री शिव पाल सिंह, वासी गांव टटेहडा हाल पत्नी श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी वार्ड नं0 04, नगर पंचायत गगरेट, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधिन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी वार्ड नं0 04, नगर पंचायत गगरेट, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) व श्रीमती सुमन लता पुत्री श्री शिव पाल सिंह, वासी गांव टटेहडा हाल पत्नी श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी वार्ड नं0 04, नगर पंचायत गगरेट, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उनकी शादी दिनांक 05-10-1990 को मुताबिक हिन्दु रीति-रिवाज से हुई थी परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण नगर पंचायत गगरेट के अभिलेख में नहीं करवाया है। प्रार्थी व प्रार्थिया ने अपनी शादी की पुष्टि बारे अपनी विवाह की फोटो, शपथ-पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किए हैं। रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार विवाह पंजीकरण नगर पंचायत गगरेट के अनुसार उक्त शादी सम्बन्धित नगर पंचायत गगरेट में दर्ज न है। अब प्रार्थीगण अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः आत जनता को इस इश्तहार/मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 07-12-2024 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही करके नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0)।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 नवम्बर, 2024

संख्या: टी0पी0टी0-बी0(1)-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल मोटर यान अधिनियम, 1988 का (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 89(2) के साथ पठित धारा 212 की उप-धारा (1) तथा धारा 96 (xxxiii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें एतद्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

यदि इन नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी हितबद्ध व्यक्ति को, इन नियमों की बाबत, कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं, तो वह लिखित आक्षेप (पों) या सुझाव (वों) को उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, प्रधान सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार, आर्म्जडेल भवन, शिमला-2 को भेज सकेगा;

नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा।

भाग-I

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:	1.	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण (हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2024 है।
		(2)	ये हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
परिभाषाएं:	2.		इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
		(क)	"अधिनियम" से, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) से अभिप्रेत है;
		(ख)	"उपबन्ध" से, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध अभिप्रेत है;
		(ग)	"सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
		(घ)	"विभाग" से, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग अभिप्रेत है;
		(ङ)	"अध्यक्ष" से, परिवहन अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य अभिप्रेत है;
		(च)	"अपीलीय अधिकरण" से, हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण अभिप्रेत है;
		(छ)	"नियुक्ति प्राधिकारी" से, सेवा या पद पर नियुक्तियां करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;
		(ज)	"अनुसूची" से, इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

भाग-II

हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी:	3.	हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण की स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा सृजित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों में अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट वर्ग-I, वर्ग-II, वर्ग-III और वर्ग-IV सेवाओं के पद सम्मिलित होंगे।
हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण का प्रशासन और नियंत्रण:	4.	अध्यक्ष, अधिकरण के कार्यालय का प्रशासन करेगा तथा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर नियंत्रण रखेगा और कार्यालय के सुचारु और कुशल संचालन के लिए भी उत्तरदायी होगा।
भर्ती की पद्धति:	5.	किसी पद या पदों के वर्ग पर भर्ती अनुसूची-II में दर्शाई गई नियुक्ति पद्धति के अनुसार की जाएगी।
भर्ती की पद्धति हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण के वर्ग I, II, III और IV पदों पर भर्ती की पद्धति:	6.	विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों को अनुसूची-II में निर्दिष्ट पात्रता और अन्य मानदंडों के अधीन नियुक्ति/प्रोन्नति/सेकंडमेंट के आधार पर भरा जाएगा।
नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी:	7.	(i) रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष-एवं-सदस्य का नियुक्ति प्राधिकारी होगा।
		(ii) हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष-एवं-सदस्य अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की बाबत सेकंडमेंट के आधार पर नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।
		(iii) सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यथास्थिति यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अधिकरण/प्राधिकरण हो, ऐसा आवश्यक या समीचीन समझे, तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण से पूर्व में ली गई साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण, पाठ्यक्रम आदि के आधार पर किया जाएगा।

भाग-III

वेतन और भत्ते:	8.	हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण की स्थापना पर आने वाले व्यक्तियों को ऐसे वेतन और भत्ते मिलेंगे, जैसा कि अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट है।
पात्रता:	9.	कोई व्यक्ति किसी पद पर नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसके पास ऐसी नियुक्ति के लिए विहित अर्हताएं न हों तथा वह अनुसूची-II में ऐसी विहित नियुक्ति के लिए अपेक्षाओं को पूरा न करता हो: परन्तु किसी विशेष मामले में, जहां कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यदि अपनी वरिष्ठता के आधार पर उच्च पद पर प्रोन्नति/चयन के लिए विचार के दायरे में आता है, किन्तु उसके पास ऐसे पद के लिए विहित अपेक्षित शैक्षिक या अकादमिक या अन्य अर्हताएं नहीं हैं, तो उसे ऐसी अर्हता की बाबत राज्य सरकार के अनुमोदन से पात्रता मानदंडों में छूट के पश्चात ऐसी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है, यदि अध्यक्ष की राय में, उसमें उत्कृष्ट योग्यता और क्षमता है तथा उच्च पद के कर्तव्यों की प्रकृति को देखते हुए, वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में पूरी तरह

		सक्षम है। ऐसी राय बनाने के लिए, अध्यक्ष किसी ऐसी स्थिति में, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उच्च पद के कर्तव्यों का पालन करने की गुणवत्ता और क्षमता के निर्धारण के लिए मामले को उसके द्वारा गठित की जाने वाली समिति को संदर्भित कर सकता है।
अस्थायी नियुक्ति:	10.	जहां किसी पद पर रिक्ति को भरना जाना आवश्यक हो तथा सम्यक् रूप से अर्हित और अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति में अनावश्यक विलम्ब अपेक्षित हो, वहां अध्यक्ष, प्रशासनिक असुविधा से बचने के लिए इन नियमों के अनुसार तात्कालिक व्यवस्था के रूप में हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी को तदर्थ आधार पर नियुक्त कर सकेगा: परन्तु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को यथास्थिति, किसी अधिकारी या कर्मचारी, द्वारा यथाशीघ्र, प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थी या प्रोन्नति किया जाने का हकदार हो सकेगा।
वरिष्ठता:	11.	हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

सेवा की अन्य शर्तें:	12.	वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सेवा की शर्तों के मामले में हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, उन स्थानों पर तैनात समतुल्य पदों या वेतनमानों के यथास्थिति वर्ग-I, II, III या IV से संबंधित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगी।
सीधी भर्ती के लिए वांछनीय अर्हता:	13.	हिमाचल प्रदेश के रूढ़ियों/रीतियों और बोलियों का ज्ञान और राज्य में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता वांछनीय अर्हताएं होंगी।
सीधी भर्ती के लिए आयु:	14.	आयु: 18 से 45 वर्ष के बीच: परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा उन अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी जो पहले से ही सरकार की सेवा में हैं: परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है: टिप्पण:- सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पदों को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा:	15.	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
आरक्षण:	16.	पद पर नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

भाग-IV

<p>पदस्थापन, और स्थानान्तरण:</p>	<p>17.</p>	<p>किसी व्यक्ति की किसी विशेष पद या किसी विशेष वर्ग या प्रवर्ग में प्रारंभिक नियुक्ति के होते हुए भी, अध्यक्ष प्रशासन के हित में ऐसे किसी व्यक्ति को किसी अन्य पद या किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग में स्थानांतरित कर सकेगा, परन्तु ऐसा स्थानांतरण या तैनाती उसकी मूल रूप से नियत या निर्धारित वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगी।</p>
<p>केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का लागू होना:</p>	<p>18.</p>	<p>अनुशासनात्मक मामलों में, केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के उपबन्ध लागू होंगे और अनुशासनात्मक और अपीलीय प्राधिकारी अनुसूची-III में यथाविनिर्दिष्ट किए जाएंगे।</p> <p>परन्तु इन नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा पारित किसी भी आदेश से कोई अपील नहीं होगी।</p>

भाग-V

<p>परिवीक्षा:</p>	<p>19.</p>	<p>(क) हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण की स्थापना पर सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नानुसार परिवीक्षा पर होंगे:</p> <p>(i) सीधी भर्ती:-</p> <p>दो वर्ष, जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए आगे बढ़ाए जाने के अधीन होगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में और लिखित में कारणों को अभिलिखित करके आदेश दिया जा सकता है।</p> <p>(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों की लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।</p> <p>(ख) संविदा के आधार पर सेवानिवृत्ति के आधार पर नियुक्ति के आधार पर अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।</p> <p>(ii) प्रोन्नति:-</p> <p>वर्ग-I से अन्य वर्ग-II जैसे कि वर्ग- II से वर्ग- I में प्रोन्नति की दशा में दो वर्ष विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष लिखित में कारणों से अभिलिखित करके परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा।</p> <p>किसी भी व्यक्तिगत अधिकारी/अन्य कर्मचारी या ऐसे अधिकारियों/ कर्मचारियों के समूह के संबंध में परिवीक्षा अवधि पूरी करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों के रूप में किसी विशेष परीक्षा(ओं) को उत्तीर्ण होने की व्यवस्था करना अनुज्ञेय होगा।</p>
--------------------------	-------------------	--

<p>स्थायीकरण:</p>	<p>20.</p>	<p>किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी परिवीक्षा अवधि (या विस्तारित परिवीक्षा अवधि) के अंत में मूल रूप से स्थायी किया जाएगा, यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान उसका कार्य और आचरण भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा तारीख 28-03-1988 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निर्धारित सरलीकृत प्रक्रिया के अनुसार संतोषजनक पाया गया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा कार्मिक विभाग में तारीख 14-06-1994 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अंगीकृत किया गया है।</p>
<p>आचरण:</p>	<p>21.</p>	<p>(i) हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा।</p>

		(ii)	हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण में अनुशासन और अच्छे आदेश के प्रतिकूल कार्य नहीं करेगा।
		(iii)	हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी कर्मचारियों के आचरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त लागू नियम और आदेश हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
अनुकंपा(करुणामूलक) के आधार पर नियुक्ति:	22.		अध्यक्ष, समुचित मामले में, सहायक या उससे ऊपर के पद के सिवाय, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वर्ग-III या वर्ग-IV के पद पर अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुकंपा(करुणामूलक) के आधार पर नियुक्त कर सकेगा, परन्तु ऐसी नियुक्ति प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से पदों की उपलब्धता के मध्यधीन की जाएगी।
प्रत्यायोजन:	23.		अध्यक्ष इन नियमों के अधीन उन्हें निहित शक्तियों को हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण के किसी समुचित अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
शिथिल करने की शक्ति:	24.		जहां राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(व्यक्तियों) या पद(पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।
निर्वचन:	25.		यदि इन नियमों की प्रयोज्यता या निर्वचन से संबंधित कोई विवाद या प्रश्न उठता है, तो राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।
कठिनाईयों को दूर करना :	26.		यदि इन नियमों के किसी उपबन्ध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार लिखित आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से जो आवश्यक प्रतीत हो, उपबन्ध कर सकेगी या इन नियमों में संशोधन कर सकेगी।
संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	27.		इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां इन नियमों के साथ संलग्न उपाबन्ध "क" और "ख" में दी गई शर्तों के मध्यधीन की जाएंगी।
अवशिष्ट मामला:	28.		इन नियमों के अधीन या इसके अधीन विशेष रूप से शामिल न किए गए मामलों के संबंध में, जिसमें अधिकारियों/और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों, उनके आचरण और अनुशासन को शासित करने वाले मामले सम्मिलित हैं, वे सामान्य रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू विधि, नियमों और विनियमों या मानदंडों द्वारा शासित होंगे, जहां तक वे इन नियमों के साथ असंगत या प्रतिकूल नहीं हैं।

अनुसूची-I

हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण में विभिन्न पदों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण(कथन)

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1.	अध्यक्ष-एवं-सदस्य परिवहन अपीलीय अधिकरण :	1	वर्ग-। (राजपत्रित)	जैसा मूल संवर्ग में है
2.	अधीक्षक ग्रेड-II%	1	वर्ग-।।(अराजपत्रित)	स्तर-12 (पे-मैट्रिक्स रुपए 43000-136000 संशोधित वेतन नियम, 2022)
3.	विधि अधिकारी:	1	वर्ग -। (राजपत्रित)	जैसा मूल संवर्ग में है

4.	वरिष्ठ सहायक:	1	वर्ग-III (अराजपत्रित)	स्तर-11 (पे-मैट्रिक्स रुपए 38500-122700)
5.	निर्णय लेखक:	1	वर्ग-III (अराजपत्रित)	हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम 2022 के स्तर-06 (पे-मैट्रिक्स रुपए 25600-81200)
6.	आशुटकक:	1	वर्ग-III (अराजपत्रित)	स्तर-05 (संशोधित वेतनमान/मैट्रिक्स रुपए 21300-67800)
7.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी):	2	वर्ग -III (अराजपत्रित)	हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम 2022 के अनुसार पे-मैट्रिक्स का स्तर-04 (रुपए 20600- 65500)।
8.	चपरासी:	2	वर्ग -IV (अराजपत्रित)	स्तर-01 (पे-मैट्रिक्स रुपए 18000- 56900) हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम 2022.
9.	चालक:	वाहन आउटसोर्स किया जाएगा		
10.	सफाईकर्मी:	सफाई सेवाएं आउटसोर्स की जाएंगी		

अनुसूची-II

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	नियुक्ति की पद्धति	अर्हता	सम्भरक काडर में अनुभव/ सेवाकाल
1.	अध्यक्ष-एवं-सदस्य, परिवहन अपीलीय अधिकरण	1	स्थानांतरण द्वारा	जिला न्यायाधीश के पद से नीचे की पंक्ति का न हो या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अर्हित हो	—
2.	विधि अधिकारी	1	विधि अधिकारी का पद कार्मिक विभाग के पत्र संख्या पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-4 / 20 18दिनांक 25-6-2021 के निर्देशानुसार भरा जाएगा क्योंकि इस प्रवर्ग को डाइंग कैडर घोषित किया गया है।		
3.	आशुटकक:	1	अंग्रेजी शॉर्टहैंड में न्यूनतम 100 (सौ) शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति रखने वाले अभ्यर्थियों में से सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।	स्नातक	—
4.	निर्णय लेखक:	1	आशुटकक में से प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर; अंग्रेजी	स्नातक	प्रोन्नति के मामले में आशुटकक के

			शॉर्टहैंड में न्यूनतम 100 (सौ) शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति रखने वाले अभ्यर्थियों में से सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।		रूप में 7 वर्ष।
--	--	--	---	--	-----------------

5.	अधीक्षक ग्रेड-II	1	सैकेण्डमेंट आधार पर		
6.	वरिष्ठ सहायक:	1	सैकेण्डमेंट आधार पर		
7.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी):	2	सैकेण्डमेंट आधार पर		
8.	चपरासी:	2	सैकेण्डमेंट आधार पर		
9.	चालक:	वाहन आउटसोर्स किया जाएगा			
10.	सफाईकर्मी:	सफाई सेवाएं आउटसोर्स की जाएंगी			

अनुसूची- III

पद का विवरण	केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 की मद संख्या (I) से (IV) के संदर्भ में शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।	स्तम्भ संख्या 2 में, विनिर्दिष्ट शास्तियां की बाबत अपीलीय प्राधिकारी	केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 की मद संख्या (V) से (IX) के संदर्भ में शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।	स्तम्भ संख्या 4 में, विनिर्दिष्ट शास्तियां की बाबत अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5
वर्ग- I, II, III, IV	अध्यक्ष	—	अध्यक्ष	—

उपाबन्ध-क

संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी।

(1) संकल्पना:

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश..... (विभाग का नाम) में(पद का नाम) का संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:

.....(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम), रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना:

.....(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम), रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पद (पदों) के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं रखने वाले और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(घ) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त..... (पद का नाम) को ₹----- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹----- (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी:

.....(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम), नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा

(iv) चयन प्रक्रिया:

(क) पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा और यदि, यथास्थिति, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर /पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(ख) पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में न आना:

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की / लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:

(क) पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अयोग/हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(ख) पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में न आना:

जैसा कि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार:

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें:

- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹----- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹----- की दर से (पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी परविसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारिख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिपदत की गई है, से 45 (पैंतालीस) दिन के भीतर अपील प्राधिकारी जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेंडर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या पर विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
- परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेंडर वर्ष तक संचित किया जा सकता है और आगमी कैलेंडर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ०आर० एस०आर०, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./ जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

.....(पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य..... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के समय से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप। यह करार श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य..... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... .. को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने (पद का नाम) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

यह कि प्रथम पक्षकार (पद का नाम) के रूप में..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा।

यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹———— प्रतिमाह होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे पारित की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पवित का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या पर विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1. _____

(नाम और पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. _____

(नाम और पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

आदेश द्वारा,

आर0डी0 नजीम,
प्रधान सचिव (परिवहन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-B(1)-1/2024, dated 25-11-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th November, 2024

No. TPT-B(1)-1/2024.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 212 and Section 96 (xxxiii) read with Section 89(2) of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules for regulating recruitment, promotion and other conditions of service of officers and other employees of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal and the same are hereby published in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for information of the general public likely to be affected thereby;

If any person likely to be affected by these rules, has any objection(s) or suggestion(s) to make with regard to these rules, he may send the written objection(s) or suggestion(s) to the Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Armsdale Building, Shimla-2 within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the stipulated period, shall be considered by the Government of Himachal Pradesh, before finalizing the draft rules, namely:—

PART-I

Short Title and Commencement:	1.	(1)	These Rules may be called the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal (Recruitment, Promotion and other Conditions of Service of Officers and other employees of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal) Rules, 2024.
		(2)	They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh.
Definitions:	2.		In these rules, unless the context otherwise requires:—
		(a)	"Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988).
		(b)	"Annexure" means annexure annexed to these rules;
		(c)	"Appellate Tribunal" means the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal.
		(d)	"Appointing Authority", means the authority empowered to make appointments to the service or post.
		(e)	"Chairman" means the Chairman-cum-Member of the Transport Appellate Tribunal.
		(f)	"Department" means Department of Transport Himachal Pradesh.
		(g)	"Government" means the Government of Himachal Pradesh
		(h)	"Schedule" means schedule annexed to these rules'

PART —II

Officers and Other Employees of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal:	3.	The posts of officers and the other employees created by the State Government on the establishment of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal, shall consist of the Posts in Class-I, Class-II, Class-III and Class-IV Services as specified in the SCHEDULE-I.
Administration and Control of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal:	4.	The Chairman, shall administer the office of the Tribunal and shall exercise control over the officers and other employees and shall also be responsible for the smooth and efficient working of the office.
Method of Recruitment:	5.	Recruitment to a post or class of posts shall be made as per the mode of appointment shown in SCHEDULE-II.
Method of Recruitment to Class I, II, III And IV Posts of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal:	6.	The vacant posts in different cadres will be filled up by appointment/promotion/secondment basis subject to the eligibility and other criteria specified in the SCHEDULE-II.

Appointing Authority/ Recruiting Authority:	7.	(i)	The Registrar General, HP High Court shall be the appointing authority of the Chairman-cum-Member, Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal.
		(ii)	Chairman-cum-Member, Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal shall be the Appointing Authority in respect of appointment on compassionate Grounds as well as on secondment basis.
		(iii)	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc.

PART-III

Pay and Allowances:	8.	The persons borne on the establishment of the Himachal Pradesh, Transport Appellate Tribunal shall draw such pay and allowances as are specified in the SCHEDULE-I.
Eligibility:	9.	<p>A person shall not be eligible for appointment to any post, unless he possesses the qualifications, and also fulfills the requirements of such appointment prescribed in the SCHEDULE-II:</p> <p>Provided that in any particular case, where an officer or other employee, if based upon his/her seniority comes within the zone of consideration for promotion/selection to a higher post, but does not possess the requisite educational or academic or other qualifications prescribed for such post, he/she may be considered for such promotion after relaxation of the eligibility criteria with the approval of the State Government with respect to such qualification, if in the opinion of the Chairman, he/she possesses outstanding merit and ability and, looking to the nature of the duties of the higher post, is fully capable of performing such duties. For forming such an opinion, the Chairman may in a given situation, refer the case for assessment of the merit and the capability to perform the duties of higher post by such Officer/Employee to a Committee, to be constituted by him.</p>

Stop-Gap Appointment:	10.	Where it is necessary to fill a vacancy in any post and undue delay is expected in appointing a duly qualified and experienced person, the Chairman, may appoint any officer or employee of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal on <i>ad hoc</i> basis as a stop-gap arrangement in accordance with these rules to avoid administrative inconvenience : Provided that a person so appointed shall be replaced as soon as possible by an officer or employee, as the case may be, entitled to be promoted or by a candidate selected by direct recruitment under these rules.
Seniority:	11.	The seniority of officers and other employees of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal shall be determined in accordance with the general principles of seniority issued by the Personnel Department (Appointment-II) from time to time.
Other Conditions of Service:	12.	The conditions of service of the officers and other employees of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal in the matter of Pay, Allowances, Leave, Provident Fund, Age of superannuation, Pension and retiral benefits, medical facilities and other conditions of service for which no express provision has been made in these rules, shall be regulated by the rules, regulations and orders as are applicable to the officers and other employees belonging to Class-I, II, III or IV, as the case may be, of the corresponding posts or scales of pay stationed at those places.
Desirable Qualification for Direct Recruitment:	13.	Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the State shall be desirable qualifications.
Age for Direct Recruitment:	14.	Age: Between 18 to 45 years : Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government : Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribe, Other Backward Classes candidates and other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the State Government. Note.— Age limit for direct recruits will be reckoned as the 1st day of the year in which the posts are advertised by inviting applications or notified to the employment exchanges, as the case may be.
Essential Requirement for Direct Recruitment:	15.	A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

Reservations:	16.	Appointment to a post shall be subject to orders regarding reservation in the service for Schedule Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the State Government from time to time.
----------------------	------------	---

PART-IV

Posting and Transfers:	17.	Notwithstanding the initial appointment of any person on any particular post or in any particular class or category, the Chairman may in the interest of administration, transfer any such person to any other post, or in any other class or category, but such transfer or posting shall not affect his/her seniority as originally fixed or determined.
Application of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965:	18.	In disciplinary matters, the provisions of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, shall apply and the Disciplinary and Appellate Authorities shall be as specified in SCHEDULE-III: Provided that no appeal shall lie from any order passed by the Chairman under these rules.

PART-V

Probation:	19.	(A) Persons appointed on the establishment of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years from the date of their initial appointment as under:— (i) Direct Recruitment:— (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the Competent Authority in special circumstance and for reasons to be recorded in writing. (b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption. (ii) Promotion:— Two years in the case of promotion from one Class to another e.g. from Class-II to Class-I. In special circumstances, the Chairman may extend the period of probation with reasons to be recorded in writing.
-------------------	------------	--

		(B) It shall be permissible with respect to any individual officer/other employees or group of such officers/other employees to provide for passing of any special examination(s) as condition precedent for completion of the probation period.
Confirmation:	20.	A probationer shall be confirmed substantively at the end of his/her probation period (or extended probation period) if his/her act and conduct during the period of probation has been found to be satisfactory in accordance with the simplified procedure laid down by GOI, DoPT <i>vide</i> its O.M. dated 28-03-1988 adopted by the State Government in the Department of Personnel <i>vide</i> O.M dated 14-06-1994.
Conduct:	21.	(i) Every Officer and employee of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal shall maintain absolute integrity and devotion to duty at all times.
		(ii) No officer and employee of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal shall act in a manner prejudicial to discipline and good order in the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal.
		(iii) The rules and orders for the time being in force and applicable to the Government Servants in the Government of Himachal Pradesh in regard to conduct shall apply mutatis mutandis to the officers and other employees of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal.
Appointment on Compassionate Grounds:	22.	The Chairman, may in a suitable case appoint on compassionate grounds any person having requisite qualifications against a Class-III or Class-IV post to be filled by direct recruitment except that of an Assistant or above, but subject to availability of posts with the prior approval of the Finance Department through Administrative Department.
Delegation:	23.	The Chairman may delegate the powers vested in him under these Rules to an appropriate officer of the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal.
Power to Relax:	24.	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Chairman, Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
Interpretation:	25.	If any dispute or question arises relating to the applicability or interpretation of these rules, the decision of the State Government shall be final.
Removal of Difficulties:	26.	If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these rules, the Government may by an order in writing do, what appears to be necessary for the purpose of removing the difficulty or amend these Rules.

Selection for Appointment to the Post by Contract Appointment:	27.	Notwithstanding anything contained in these Rules, contact appointments to the post(s) will be made subject to the terms and conditions given in the Annexure "A" & "B" appended to these rules.
Residuary Matter:	28.	With regard to the matters not specifically covered by or under these rules, including the matters governing service conditions of the officers/and other employees, their conduct and discipline, the same shall be governed by law, rules and regulations or norms applicable to the State Government employees in general in so far as those are not inconsistent with or repugnant to these Rules.

SCHEDULE-I

Statement showing details of various posts in the Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal

Sl. No.	Name of the Post	Number of Sanctioned Posts	Classification	Pay Scale
1.	Chairman-cum-Member, STAT	1	Class-1 (Gazetted)	As in the parent cadre
2.	Superintendent Grade-II	1	Class-II (Non-Gazetted)	Level-12 (Pay Matrix Rs. 43000-136000 Revised Pay Rules, 2022)
3.	Law Officer	1	Class-1 (Gazetted)	As in the parent cadre
4.	Senior Assistant	1	Class-III (Non-Gazetted)	Level-11 (Pay Matrix Rs. 38500-122700)
5.	Judgement Writer	1	Class-III (Non-Gazetted)	Level-06 (Pay Matrix Rs. 25600-81200) of HPCS (Revised Pay) Rules, 2022
6.	Steno Typist	1	Class-III (Non-Gazetted)	Level-05 (Revised Pay Scale/Matrix Rs. 21300-67800)
7.	JOA (IT)	2	Class-III (Non-Gazetted)	Level-04 of the Pay Matrix (Rs. 20600-65500) as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.
8.	Peon	2	Class-IV (Non-Gazetted)	Level-01 (Pay Matrix Rs. 18000-56900) Rules, 2022.
9.	Driver	Vehicle to be outsourced.		
10.	Sweeper	Sweeping services to be outsourced		

SCHEDULE-II

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Mode of appointment	Qualification	Experience / Length of Service in feeder cadre
1.	Chairman-cum-Member, Transport Appellate Tribunal	1	By Transfer	Not Below the rank of a District Judge or who is qualified to be a Judge of the High Court	————
2.	Law Officer	1	The post of Law Officer be filled as per instructions of Department of Personnel letter No. Per(AP)-C-A(3)-4/2018, dated 25-6-2021 as this category has been declared as Dying Cadre.		
3.	Steno Typist	1	By direct recruitment or by recruitment on contract basis from amongst candidates possessing minimum speed of 100 (hundred) words per minute in English shorthand and typing speed of 30 (thirty) words per minute in English on Computer.	Graduation	————
4.	Judgement Writer	1	By promotion from amongst Steno typist failing which; by direct recruitment or by recruitment on contract basis from amongst candidates possessing minimum speed of 100 (hundred) words per minute in English shorthand and typing speed of 30 (thirty) words per minute in	Graduation	7 years as a steno typist in case of promotion.

			English on Computer.		
5.	Superintendent Grade-II	1	On secondment basis	—	—
6.	Senior Assistant	1	On secondment basis	—	—
7.	JOA (IT)	2	On secondment basis	—	—
8.	Peon	2	On secondment basis	—	—
9.	Driver	Vehicle to be outsourced.			
10.	Sweeper	Sweeping services to be outsourced.			

SCHEDULE-III

Description of post	Competent authority to impose penalties with reference to items No. (I) to (IV) of rule 11 of CCS (CC&A) Rules, 1965.	Appellate authority in respect of penalties specified in Column No. 2.	Competent authority to impose penalties with Reference to items No. (V) to (IX) of rule 11 of the CCS (CC&A) Rules, 1965.	Appellate authority in respect of penalties specified in Column No. 4.
1	2	3	4	5
Class-I , II, III, IV	Chairman	—	Chairman	—

Annexure-“A”

Selection for appointment to the post by contract appointment:—

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

- (a) Under this policy the _____ (Name of the post) in _____ Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

- (b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC/ HPRCA:—

The _____ (Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur.

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/ HPRCA:—

The (Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The _____ (Name of the post) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs _____/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs ___ /- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Chairman-*cum*-Member, Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC/HPRCA:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission/ Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur.

(b) FOR POST(S) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPRCA:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:**(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC/HPRCA:**

As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur, from time to time.

(b) FOR POST(S) FALLING OUTSIDE THE PURVIEW OF HPPSC/HPRCA:

As may be constituted by the concerned recruiting authority from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.____/ P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.____ /- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the Appointing Authority, he may prefer an appeal before the Appellate Authority, who shall be higher in rank to the appointing authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
- (c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. appointee will also be entitled for 135 days maternity leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be

excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

Annexure-“B”

Form of contract/agreement to be executed between the_____ (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through_____(Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____. Between Sh./Smt. _____ s/o/d/o Shri_____, r/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a _____(Name of the post) for a period of one year commencing on day of _____ and ending on the day of_____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs._____ /- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the Appointing Authority, he may prefer an appeal before the Appellate Authority, who shall be higher in rank to the appointing authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
4. Contractual_____(Name of the post) will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female, contract appointee will also be entitled for 135 days maternity leave, A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

By order,

Sd/-

(R. D. NAZEEM),
Principal Secretary (TPT).

राजस्व विभाग
(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला-2, 21 नवम्बर, 2024

संख्या: रैव0स्टाम्प (एफ)2-5/2020.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 74 और हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार द्वारा स्टाम्प की आपूर्ति एवं वितरण हेतु बनाए गए नियमों से व्युत्पन्न प्राधिकार के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: 17-3/67 रैव 1 तारीख 29 मार्च, 1974 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्टाम्प रूलज, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) नियम 2024 है।

(ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. **नियम 26 और 28 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश स्टाम्प रूलज, 1973 के रूल 26 और 28 में अंक और चिह्न "2,00,000" जहां-जहां ये आते हैं, के स्थान पर "4,00,000" अंक और चिह्न रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
(ओंकार चन्द शर्मा),
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

[Authoritative English text of this Government Notification No. Rev. Stamp(F)2-5/2020, dated 21-11-2024 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT
(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-02, the 21st November, 2024

No. Rev. Stamp (F) 2-5/2020.—In exercise of the powers conferred by section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), and section 41 of the Himachal Pradesh Court Fee Act, 1968 (Act No. 8 of 1968) and under the authority derived from the rules made by the Government of India for supply and distribution of stamps, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Stamp Rules 1973 notified *vide* notification No. 17-3/67-Rev.1 dated 29th March, 1974, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Stamp (Amendment) Rules, 2024.

(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rules 26 and 28.— In rules 26 and 28 of the Himachal Pradesh Stamp Rules, 1973, for the figures and signs “2,00,000” wherever it occurs, the figures and signs “4,00,000” shall be substituted.

By order,

Sd/-
(ONKAR CHAND SHARMA),
Addl. Chief Secretary (Revenue).

CHANGE OF NAME

I, Richa Shenoy w/o Arvind Kumar Bhardwaj born on 04-06-1992 residing at VPO Gondpur Banehra Upper, Tehsil Ghanari, District Una (H.P.) Pin Code-177213 has changed my name to Richa Bhardwaj *vide* affidavit No. IN-HP26809837026516W, Dated 03-10-2024 for all future purposes.

RICHA SHENOY,
w/o Arvind Kumar Bhardwaj,
r/o VPO Gondpur Banehra Upper,
Tehsil Ghanari, District Una (H.P.) Pin Code-177213.

CHANGE OF NAME

I, Richa Bhardwaj have changed the name of my daughter Anaysha Shenoy born on 22-06-2022 to Anaysha Bhardwaj residing at VPO Gondpur Banehra Upper, Tehsil Ghanari, District Una (H.P.) Pin Code-177213 vide affidavit No. IN-HP26754150625468W Dated 03-10-2024 for all future purposes.

RICHA BHARDWAJ,
r/o VPO Gondpur Banehra Upper,
Tehsil Ghanari, District Una (H.P.) Pin Code-177 213.

CHANGE OF NAME

I, Sulochani Devi w/o Sh. Purvi Ram, r/o Village Bhailla, P.O. Ghamiru, Tehsil Ladbharol, Distt. Mandi (H.P.) Declare that in my Aadhar Card No. 7032 5710 4791 my name wrongly entered as Salochna Devi Instead of my correct name Sulochani devi. Concern note.

SULOCHANI DEVI,
w/o Sh. Purvi Ram,
r/o Village Bhailla, P.O. Ghamiru,
Tehsil Ladbharol, Distt. Mandi (H.P.).

नाम दुरुस्ती

मैं, अरविंद कुमार शेनॉय पुत्र रणबीर सिंह, गांव व डा0 गोंदपुर बनेहड़ा ऊपरी, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0) पिन कोड-177 7213 ने अपना नाम हल्फनामा संख्या नं0 : IN-HP26809457871936W दिनांकित 03-10-2024 के माध्यम से भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए बदलकर अरविंद कुमार भारद्वाज कर लिया है।

अरविंद कुमार शेनॉय,
पुत्र रणबीर सिंह,
गांव व डा0 गोंदपुर बनेहड़ा ऊपरी,
तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0) पिन कोड-177 7213.

